छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 377/2006</u>

श्री महेन्द्र कुमार गुप्ता,
उप सचिव,
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी,
प्रतापपुर, जिला–सरगुजा (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
प्राचार्य,
शासकीय उच्च0 माध्य0 विद्यालय,
प्रतापपुर, जिला–सरगुजा (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

:: आदेश ::

(दिनांक 13 नवम्बर 2006)

श्री महेन्द्र कुमार गुप्ता के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–19 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की।

2/ अपीलार्थी ने अपील आवेदन में उल्लेख किया है कि उसके द्वारा दिनांक 3–2–2006 को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, प्रतापपुर के संबंध में प्रवेश फार्म शुल्क ए.एफ.फण्ड, स्काऊट गाईड, विज्ञान शुल्क, जनभागीदारी/शाला विकास शुल्क आदि की सभी कक्षाओं से आय–व्यय की जानकारी कैशबुक की फोटोकापी सहित अप्रेल 2002 से 31 जुलाई 2005 तक जानकारी चाही थी, साथ ही जनभागीदारी समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण की फोटोकापी आदि चाही है। आवेदक ने जानकारी प्राप्त न होने पर जिला शिक्षा अधिकारी को अपील प्रस्तुत की। जिला शिक्षा अधिकारी ने दिनांक 7–4–2006 को प्राचार्य को निर्देशित किया कि अपीलार्थी को जानकारी प्रदान की जावे। जानकारी प्राप्त न होने पर उसे आयोग के समक्ष यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

3/ प्रतिअपीलार्थी प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, प्रतापपुर को नोटिस जारी किया गया। प्राचार्य श्रीमती कमला नाग के द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया तथा बतलाया गया कि अपीलार्थी को अभिलेख शुल्क जमा करने के लिए दिनांक 17–2–2006 को लिखा गया। उन्होंने डाक लेने से इंकार किया, इसका प्रमाण भृत्य का लेख है। पुनः दिनांक 28–2–2006 को उन्हें अभिलेख शुल्क की राशि 10,920/– रूपए जमा करने के लिए सूचित किया गया, किन्तु उनके द्वारा राशि जमा नहीं की गई। जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश के पश्चात् पुनः अपीलार्थी को बिल व्हाऊचर की फोटोकापी 18 प्रति संलग्न कर भेजी गई, जिसे लेने से उसके द्वारा इंकार किया गया। इसकी सूचना जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र दिनांक 11–6–2006 के अनुसार दी गई। श्री मुखदेव राम भृत्य की टीप दिनांक 11–7–2006 की छायाप्रति भी प्राचार्य के द्वारा

प्रस्तुत की गई। प्राचार्य के द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि अपीलार्थी सूचना का अधिकार अधिनियम का गलत उपयोग कर रहा है, तथा रूपए मांगता है। इनके द्वारा मारने की धमकी भी दी गई थी, जिसकी रिपोर्ट स्थानीय थाने में कराई गई है।

4/ अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा दोनों पक्षों को सुना गया। प्रतिअपीलार्थी के द्वारा बतलाया गया कि अपीलार्थी के द्वारा नियत अवधि में अभिलेख नहीं दिये गये हैं, अतः उसको अर्थदण्ड आरोपित किया जावे। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि जन सूचना अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी को अभिलेख शुल्क जमा करने के लिए समय–समय पर सूचित किया गया, किन्तु अपीलार्थी के द्वारा अभिलेख शुल्क जमा नहीं किया गया। अपीलार्थी के द्वारा काफी विस्तृत जानकारी माँगी गई थी, जिसका अभिलेख शुल्क जन सूचना अधिकारी के द्वारा 10,920/– रूपए जमा कराने के लिए अपीलार्थी को सूचित किया गया था। प्राचार्य के द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी के पास नोटिस लेकर भृत्य गया, किन्तु अपीलार्थी ने नोटिस लेने से इंकार किया। इससे स्पष्ट है कि प्रतिअपीलार्थी के द्वारा जानकारी दिये जाने से इंकार नहीं किया गया तथा यह भी स्पष्ट है कि यह आरोप सिद्ध नहीं होता कि प्रतिअपीलार्थी प्राचार्य के द्वारा जानबूझकर अथवा द्वेषवश जानकारी नहीं दी गई है। अतः प्रतिअपीलार्थी पर अर्थदण्ड आरोपित किये जाने का आधार नहीं है।

5/ अपीलार्थी ने अनेक शुल्कों की जानकारी विस्तार से चाही है। अप्रेल 2002 से जुलाई 2005 तक की जानकारी काफी विस्तृत है। अतः निर्देश दिये जाते हैं कि प्रतिअपीलार्थी, अपीलार्थी को आदेश प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर अभिलेख निःशुल्क निरीक्षण कराने हेतु सूचित करे तथा अभिलेख परीक्षण कराया जावे। उसके पश्चात् अपीलार्थी जो भी अभिलेख चाहता है, उसकी सूची अभिलेख शुल्क सहित 3 दिन में जमा करने पर वांछित अभिलेखों की प्रतियाँ उन्हें प्रदान की जावे।

6/ उपरोक्त निर्देशों के साथ अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

हस्ता0/– 13–11–2006
(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त